कानूनी साक्षरता शृंखला - 1

साक्षर भारत

आंखें खुल गईं

(भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)

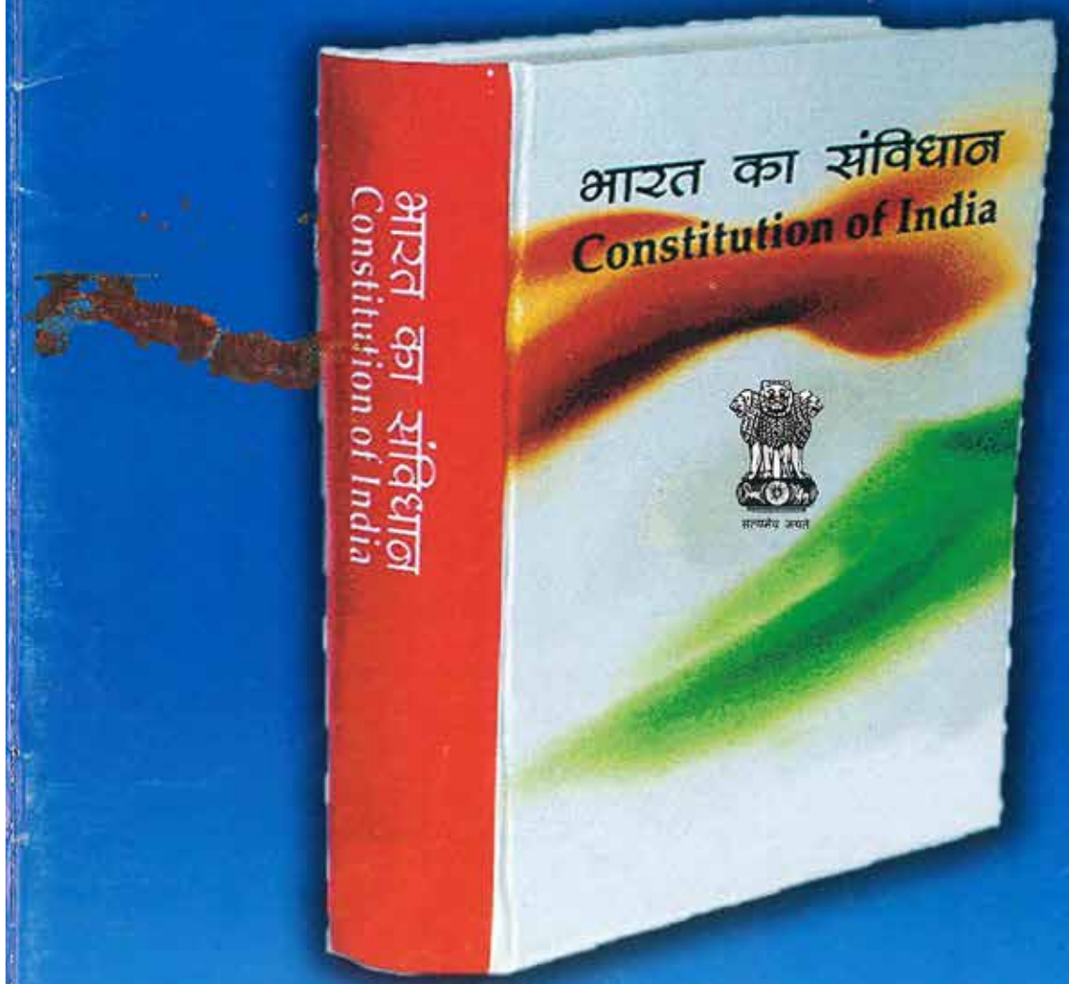

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नईदिल्ली

आंखें खुल गईं

राजा फौज में भर्ती हो गया, यह सुनते ही मां रोने लगी। मां का रोना सुनकर पिता जी और भाई विजय भी आ गए।

मां बोली- 'गांव से कभी कोई सेना में नहीं गया। तुझे ही यह क्यों सूझा?'

राजा बोला- 'सुरेश से पहले गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं बना था। अब वह मरीजों की सेवा करता है। मैं देश की सेवा करूंगा।'

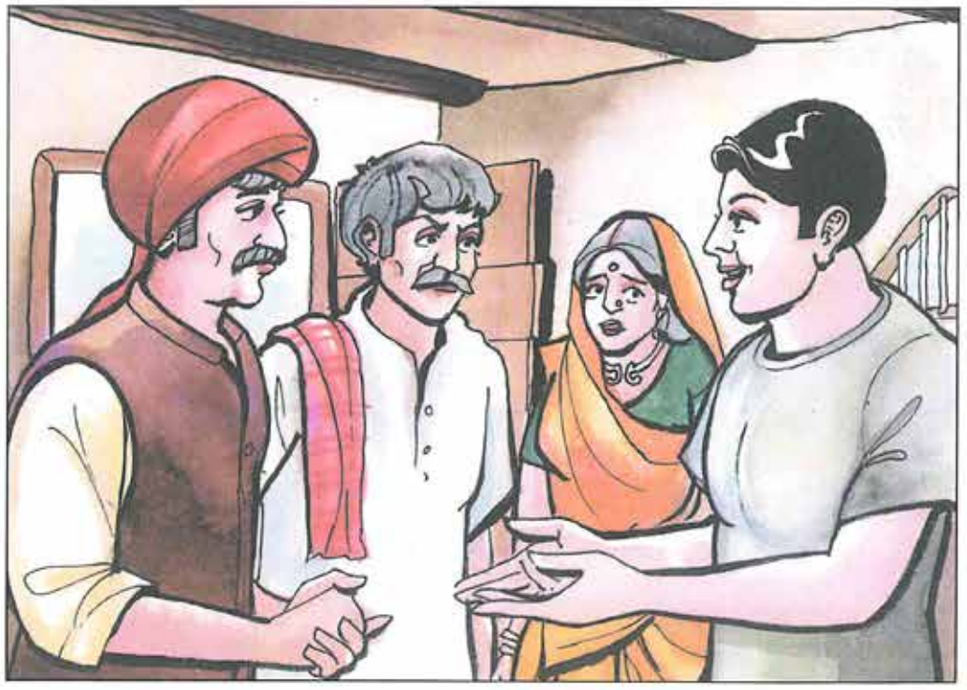

मां बोली- 'देश की सेवा गांव में रहकर भी हो सकती है।'

राजा- 'हो सकती है पर सब तुम्हारी तरह सोचें तो फौज में कौन जाएगा?'

मां के रोने और बहस की आवाज बाहर तक पहुंची। उन्हें सुनकर पड़ोसी आजम, चैन सिंह और जगदीश वहां आ गए।

चैन सिंह ने पूछा- 'भाभी, क्या हो गया? क्यों रो रही हो?'

पिता जी बोले- 'राजा फौज में जा रहा है।'

आजम- 'अरे वाह, हमारे शहनवाज़ को भी ले जाओ।'

जगदीश- 'राजा, तुम्हारे पिता की खेती-बाड़ी है। उसे कौन देखेगा?'

विजय- 'काका, मैं और बापू खेती करेंगे। यही हमारी देश की सेवा होगी। हमारे फौजियों को अन्न भी तो चाहिए।'

मां बोली- 'तो आप सब चाहते हो कि राजा फौज में जाए यदि मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा?'

चैन सिंह बोला- 'भाभी, अगर हर मां ऐसे ही डरेगी तो फौज कैसे बनेगी?'

आजम- 'भाभी, अमन-चैन से रहना हमारा अधिकार है।

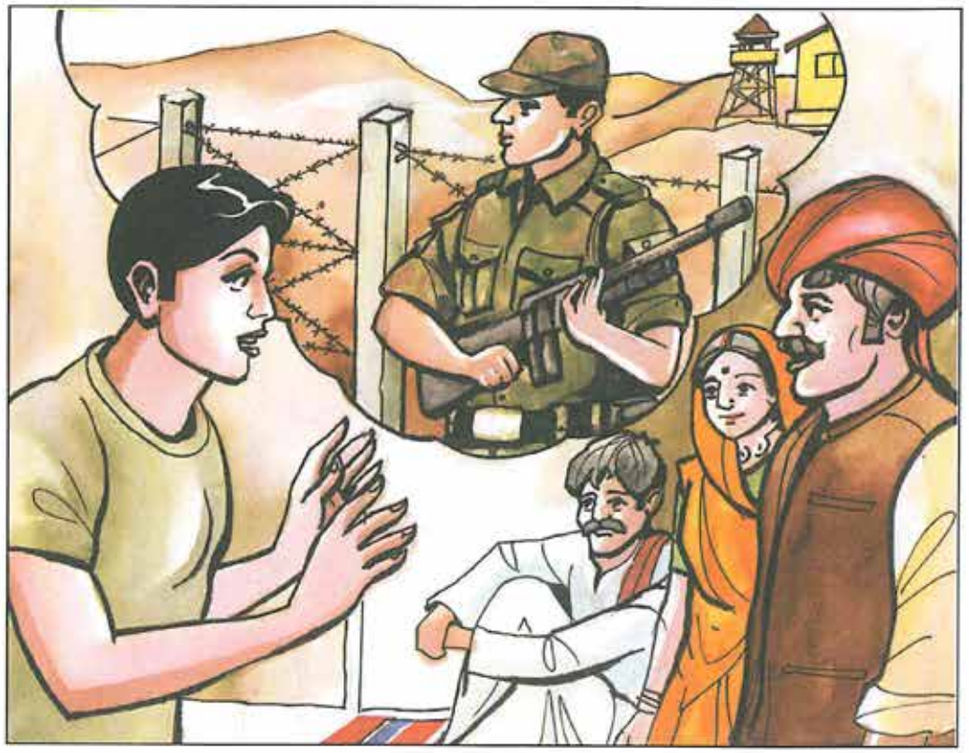

लेकिन अमन-चैन की रक्षा हमारा कर्त्तव्य है। फौजियों के कारण ही हम अमन-चैन से रहते हैं। फौजें देश की रक्षा न करें तो हमारा अमन-चैन खत्म हो जाए।'

जगदीश- 'बिलकुल ठीक। देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। हमें चाहिए कि फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करें। संकट के समय देश के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार रहें।'

राजा के पिता- 'यह सच है। अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्त्तव्य भी हैं। राजा की मां, बेटे को खुशी-खुशी विदा करो। इसके इरादे कमजोर मत करो।'

❑

नागरिकों के कर्त्तव्य

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जहां अधिकार है वहीं कर्तव्य है। जहां कर्त्तव्य है वहीं अधिकार है। संविधान में अधिकार के साथ कर्त्तव्य भी जोड़े गए हैं। ये मूल कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-

1. संविधान का पालन करना :

प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि संविधान में बताई गई बातों (नियमों) का पालन करें। संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अर्थात् जब राष्ट्रीय गान (जन गण मन गान) गाया जाए या झंडा फहराया जाए तो उसके सम्मान में सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं।

- जब भी झंडा फहराया जाए, झंडा साफ सुथरा हो। मैला कुचैला व फटा हुआ न हो।
- यदि झंडे के टुकड़े सड़क पर या कहीं भी दिखें तो उन्हें इकट्ठा कर ससम्मान किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा

दें। उन्हें पैरों से न कुचलें।

- संसद, विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का पालन करें। कोर्ट (न्याय पालिका) द्वारा दिए गए निर्णयों का सम्मान करें व पालन करें।

2. देश की अखंडता एवं एकता बनाए रखना :

देश के नागरिकों का कर्त्तव्य है कि देश को एकता के सूत्र में बांधे रहें। छोटी-बड़ी बातों के लिए आपस में लड़ाई-झगड़े न करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, संप्रदाय व वर्गभेद की संकुचित भावना से ऊपर रहें। भाईचारे व एकता की भावना का विकास करें। देश की संप्रभुता की रक्षा करें।

3. देश की रक्षा करना :

देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करें। संकट के समय देश की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार रहें। देश की शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

4. समरसता और समान भ्रातृत्व भावना :

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित

सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

5. आदर्शों का पालन करना :

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।

6. गौरवशाली परम्परा का परिरक्षण :

हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

7. पर्यावरण की रक्षा करना :

प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। पेड़-पौधे, जल, वायु ये सब यदि शुद्ध होंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। मानव जाति की इससे रक्षा होगी। प्राकृतिक संसाधनों का किफायती ढंग से उपयोग करें। इनका अंधाधुंध उपयोग न करें।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण :

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं गलत परंपराओं का त्याग करें। स्वस्थ परंपराओं को अपनाएं। ज्ञान बढ़ाने और उसका विकास करने का प्रयास करें। सभी के प्रति मानवीय दृष्टि अपनाएं।

9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना :

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति जैसे- बस, इमारत आदि को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसको रोकें।

10. सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना :

ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाएं व उनमें भाग लें जिससे व्यक्ति व देश का विकास हो। देश उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सके।

11. बच्चों को शिक्षा के अवसर देना :

यदि माता-पिता या संरक्षक हैं तो छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक-बालिका या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा

के अवसर प्रदान करें।

अन्य कर्त्तव्य :

- नागरिकों के हित के लिए तथा कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य कानून बनाता है। अत: नागरिक सभी कानूनों का पालन करें।
- विभिन्न विकास कार्यों व कल्याणकारी योजना के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य कर (टैक्स) लगाता है। नागरिकों का कर्त्तव्य है कि ईमानदारी से समय पर कर चुकाएं।
- प्रजातंत्र जनता का शासन होता है। शासन चलाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। वे मिलकर सरकार बनाते हैं। नागरिक बिना किसी लालच के मतदान करें।
- सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने पर सेवाभाव से अपने कर्त्तव्यों का पालन करें। बिना किसी पक्षपात के राष्ट्र के हित में काम करें।

नागरिकों के स्वयं अपने प्रति, अपने परिवार, पड़ौसी व समाज के प्रति भी कर्त्तव्य होते हैं। अत: प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने शारीरिक, मानसिक व आर्थिक विकास के लिए प्रयास करे। अपने परिवार को सुखी बनाएं। अपने परिवार, ग्राम, नगर व समाज हित के कार्यों में सहयोग प्रदान करें।

नागरिकों के मौलिक अधिकार

देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। इन नियमों को एक किताब में लिखा गया है। इसे भारतीय संविधान कहते हैं। आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया। इसके अंतर्गत हमको बहुत से अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। देश की रक्षा, उसकी एकता या अखंडता को खतरा हो तो इन अधिकारों में कटौती की जा सकती है। हमारे मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं:

1. समानता का अधिकार :

भारत का हर नागरिक कानून की निगाह में समान है। धर्म, जाति, वंश, भाषा, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को भी समानता का अधिकार रहेगा।

किसी भी सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, जन्म स्थान, वंश, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत का व्यवहार करने पर सजा मिलेगी।

संविधान के तहत राज्य सरकार स्त्रियों, बच्चों, सामाजिक एवं

शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति व जनजाति की समानता के लिए विशेष कानून बना सकती है।

सरकार राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियां ही दे सकती है। कोई भी नागरिक विदेशी उपाधि सरकार की अनुमति से ही ले सकता है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार :

हर व्यक्ति को पूरे भारत में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, संघ बनाने की, किसी भी भाग में बसने की, अपनी इच्छा से कारोबार करने की आजादी है। लेकिन उसका कोई भी काम समाज विरोधी नहीं होना चाहिए। उसे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिक शत्रुता फैलाने वाले काम नहीं करना चाहिए।

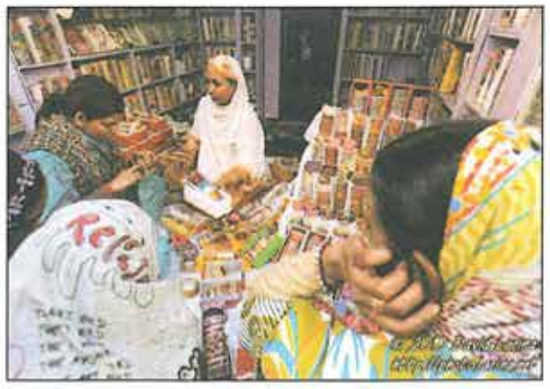

प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, छापकर या चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने की आजादी है।

अपनी या गांव की कोई समस्या पंचायत के सामने रखने की आजादी है। किसी भी मुद्दे पर अपनी राय या विचार रखने की आजादी हर नागरिक को है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार :

- चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है।
- किसी मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता।
- किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है।

बाल श्रम कानूनन अपराध है।

- किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे दिए बेगारी में काम नहीं कराया जा सकता है।
- शोषण को घोर अपराध माना गया है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

- प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने

की आजादी है। वह धार्मिक कार्य एवं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था पर आंच आने पर इन अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है।

- कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई विशेष धर्म मानने को मजबूर नहीं कर सकता है।
- जो स्कूल सरकारी सहायता से चलते हैं, उनमें किसी खास धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। समाज के हित को चोट पहुंचाने वाली किसी भी धार्मिक प्रथा का पालन करना गैर कानूनी होगा। जैसे- सती प्रथा।

5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार :

- हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की आजादी है। उसे इनका विकास करने व प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।
- सरकारी धन से चलाए जा रहे स्कूल व कॉलेजों में धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान या वंश के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

6. संवैधानिक उपचारों (मौलिक अधिकारों की रक्षा) का अधिकार :

- यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्त्तव्य है।
- कोई भी व्यक्ति अपराध का दोषी तब तक नहीं होगा जब तक वह कानून का उल्लंघन न करे।
- किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस पर कोई मुकदमा चलाया गया, न्यायालय ने उसे सजा भी सुना दी, तो उस व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दुबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न ही उसे एक से ज्यादा बार सजा हो सकती है।
- कानून जो सजा तय करता है उससे अधिक सजा किसी को नहीं दी जा सकती है।
- कानून की जानकारी न होना कोई बहाना या तर्क नहीं हो सकता है।

- जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय मुआवजा देने के आदेश दे सकता है।
- पुलिस अधिकारियों की ज्यादती पर मुआवजा दिया जा सकता है।
- न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद करवा सकता है। कारखाने प्रदूषण मुक्त रहेंगे व घनी आबादी वाली बस्ती से दूर रहेंगे।
- अधिसूचित क्षेत्रों के भू-अर्जन किए जाने पर सरकार किसी की जमीन ले ले तो उसे मुआवजा मिलेगा। साथ ही उसके घर पुनर्वास की व्यवस्था बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा व खाद्यान्न की व्यवस्था भी करनी होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लागू होना जरूरी है। उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
- एक आम नागरिक दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकार का

नुकसान होते देख खुद, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत कर सकता है। न्यायालय खुद भी संज्ञान ले सकता है।

- आपातकाल में अनुच्छेद को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार छीने भी जा सकते हैं।

देश के नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। तभी सब अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिकारों के साथ-साथ कर्त्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।

❑

कानूनी साक्षरता श्रृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	श्रृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in